भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2411
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधि

†2411. **डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोविड महामारी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के अंतर्गत सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के बीच बढ़ते अधिगम अंतर का आकलन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त तत्संबंधी निष्कर्ष के ब्यौरे क्या हैं;
(ग) क्या देश में डिजिटल और अवसंरचनात्मक असमानताओं को पाटने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधि आवंटित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण समरूप शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश सरकारी स्कूल और स्कूल बोर्ड राज्य सरकार और इसके निकायों के तहत आते हैं। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने दिनांक 29.07.2020 को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हमारे देश की अनेक बढ़ती विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

भारत सरकार समय-समय पर देश भर के स्कूलों में अधिगम परिणामों को मापने के लिए बडे पैमाने पर मूल्यांकन करती है। इस तरह का नवीनतम मूल्यांकन अर्थात् परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण

(जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता था) दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया गया था, ताकि स्कूल शिक्षा की बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9 में मूल्यांकन,) के अंत में छात्रों के बीच दक्षता विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत प्रदर्शन को समझा जा सके।

भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी और निजी स्कूलों सहित 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों ने मूल्यांकन में भाग लिया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्ट जिसमें विभिन्न स्कूल प्रबंधन प्रकारों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी) के लिए प्रमुख जानकारी शामिल है, इस लिंक https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं, जो मूल्यांकन के निष्कर्षों के प्रचार-प्रसार के लिए डिज़ाइन किया गया एक समर्पित डैशबोर्ड है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्षों से पता चलता है कि राज्य सरकार के स्कूल मूलभूत स्तर पर निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि केंद्र सरकार के स्कूलों ने प्रारंभिक और मध्य स्तर पर निजी स्कूलों सहित सभी स्कूल प्रबंधनों में उच्चतम अंक प्राप्त किया हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रही है, जो स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्तर शामिल हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समग्र शिक्षा को एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा तक पहुंच, अवसंरचना और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूलों के नए/उन्नयन के प्रावधान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना और दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच के प्रावधान सहित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करना।
- स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर 16-19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में लाने के लिए सहायता प्रदान की गई।
- कक्षा XII तक आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के उन्नयन का प्रावधान।

- सभी बच्चों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान और प्रारंभिक स्तर पर सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के लड़कों के लिए निशुल्क यूनिफार्म का प्रावधान, जिसमें पूरक सामग्री के साथ जनजातीय भाषाओं के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं।

- दुर्गम कम आबादी वाले क्षेत्रों में बच्चों के लिए 6000 रुपये प्रति वर्ष तक की दर पर माध्यमिक स्तर तक परिवहन सुविधा का विस्तार किया गया है।

- पहाड़ी इलाकों, छोटे और कम आबादी वाले इलाकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूल/छात्रावास, उन बच्चों के लिए जो बिना वयस्क संरक्षण के हैं और जिन्हें आश्रय और देखभाल की ज़रूरत है।

- सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने और गेम, खेल आधारित गतिविधियों के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष 500 रुपये तक का प्रावधान।

- टीएलएम के प्रावधान के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान संबंधी निपुण भारत मिशन के लिए प्रति वर्ष 500 रुपये प्रति बच्चा, शिक्षक मैनुअल और संसाधनों के लिए प्रति शिक्षक 150 रुपये, मूल्यांकन के लिए प्रति जिले 10-20 लाख रुपये, एफएलएन पर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की गई है।

- समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी), खेल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, समग्र स्कूल अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, टीईआई के सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन प्रकोष्ठ, बैगलेस दिन, स्कूल परिसर, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सुधार आदि जैसे गुणात्मक और नवाचार मध्यवर्तनों का प्रावधान।

- 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' के तहत लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण।

- सहायता सामग्री और उपकरणों, शिक्षण सामग्री, गृह आधारित शिक्षा आदि के लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले प्रति बच्चे प्रति वर्ष 3500 रुपये तक का प्रावधान

- पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक छात्र घटक के अलावा सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों के लिए 10 महीने के लिए ₹200 प्रति माह की दर से वजीफे का अलग प्रावधान।

- ब्लॉक स्तर पर सीडब्ल्यूएसएन के लिए ₹10000 प्रति शिविर की दर से वार्षिक पहचान शिविर और सीडब्ल्यूएसएन के पुनर्वास और विशेष प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों को सुसज्जित करना, और विशेष शिक्षकों और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण।
- पूर्व-प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए बीआरसी और सीआरसी की शैक्षणिक सहायता बढ़ाई गई।
- विभिन्न व्यवसायों पर बच्चों को एक्सपोजर और इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए विकास कार्य करने वाले कौशल और अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ तालमेल पर बल दिया गया।
- सरकारी स्कूलों के साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी कौशल शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है तथा नामांकन और मांग से जुड़ी नौकरी की भूमिकाओं/अनुभागों की अनुदान/संख्या भी प्रदान की गई है।
- डिजिटल बोर्डों, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता सहित आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान।
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए बच्चों के अधिगम के स्तर का पता लगाने के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग।
- अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के तहत प्रतिपूर्ति सहित शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सहायता करना।

इसके अतिरिक्त दिनांक 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तत्वावधान में देश भर में शिक्षा के लिए बहु-पद्धति पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावकारिता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहकार्यता करते हैं। पीएम ई-विद्या में भारत सरकार में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाले सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकाय ने बहुभाषावाद को सक्षम करते हुए मातृ स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 565.28 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। दीक्षा ऑफलाइन सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों की सहायता करता है। हितधारकों के पास दीक्षा पर 450 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में 50-50) तक पहुंच है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है, जो कि बीएसएनएल द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी।

समग्र शिक्षा के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय भाग के रूप में क्रमशः ₹44493.94 करोड़, ₹45647.55 करोड़ और ₹47475.67 करोड़ की राशि का अनुमोदन दिया गया है।

*****